रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2015/चैत्र 4, 1937
No. 173] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2015/CHAITRA 4, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2015

सा.का.नि. 224(अ).—स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 को संशोधित करने के लिए आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) नियमावली को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा।

(2) ये भारतीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।

2. स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 (एतद्पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में उल्लेखित) में नियम 53 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

"53 सामान्य निषेध- इस अध्याय के तहत जारी, आयात प्रमाण पत्र या निर्यात प्राधिकार पत्र के बिना किसी भी प्रकार के स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का भारत में आयात या भारत से निर्यात नहीं किया जाएगा।

परन्तु इस नियमावली की अनुसूची 1 में निर्धारित स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का भारत से निर्यात या भारत में आयात, अध्याय VII क में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा।"।

3. उक्त नियमावली के नियम 53क को विलोपित किया जाएगा।

4. उक्त नियमावली के नियम 55 में,—

(i) उपनियम(1) में "अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट" शब्दों को विलोपित किया जाएगा;

(ii) उपनियम (3) तथा उपनियम (4) के लिए निम्नलिखित उपनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) आयात प्रमाण पत्र के प्रत्येक आवेदन को उसी रूप तथा तरीके तथा उन्हीं विवरणों को प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि स्वापक आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाए।

(4) इस नियम के तहत जारी प्रत्येक आयात प्रमाण पत्र के लिए उपनियम (1) के तहत आवेदन के साथ केन्द्र सरकार को एक हजार रुपये की फीस अदा की जाएगी।"।

5. उक्त नियमावली के नियम 56 में, -

(i) उपनियम (1) को उपनियम (1क) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उपनियम (1क) से पहले निम्नलिखित उपनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) सभी प्रकार से पूरे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 21 कार्यदिवसों के अंतर्गत, स्वापक आयुक्त नियम 55 के उपनियम (1) में उल्लिखित आयात प्रमाण पत्र जारी या नामंजूर करेगा तथा यदि निर्धारित समय-सीमा में आयात प्रमाण पत्र न तो जारी किया जाता है और न ही नामंजूर किया जाता है तो स्वापक आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस संबंध में आवेदक को सूचित करेगा।"

(ii) उपनियम (1क) में,—

(क) "नियम 55 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट" शब्दों को विलोपित किया जाएगा।

(ख) "सीमा शुल्क कलेक्टर" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "सीमा शुल्क आयुक्त" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. उक्त नियमावली के नियम 57 में "अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट" शब्दों को विलोपित किया जाएगा।

7. उक्त नियमावली के नियम 58, में—

(i) उपनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) इस नियमावली में लगे फार्म सं. 5 में, प्रेषण के संबंध में, जारीकर्ता अधिकारी द्वारा जारी निर्यात प्राधिकार पत्र के बिना किसी भी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाएगा।"

(ii) उपनियम (3) तथा उपनियम (4) के लिए निम्नलिखित उपनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"(3) निर्यात प्राधिकार पत्र का प्रत्येक आवेदन को उसी रूप तथा तरीके तथा उन्हीं विवरणों को प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि स्वापक आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाए।

(4) इस नियम के तहत जारी प्रत्येक निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए उपनियम (1) के तहत आवेदन के साथ केन्द्र सरकार को एक हजार रुपये की फीस दी जाएगी।"

8. उक्त नियमावली के नियम, 59 में,

(i) उपनियम (1) को उपनियम (1क) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः क्रमांकित उपनियम (1क) से पहले निम्नलिखित उपनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) सभी प्रकार से पूरे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 21 कार्यदिवसों के अंतर्गत, स्वापक आयुक्त नियम 58 के उपनियम (1) में उल्लिखित निर्यात प्राधिकार पत्र जारी या नामंजूर करेगा तथा यदि निर्धारित समय-सीमा में निर्यात प्राधिकार पत्र न तो जारी किया जाता है और न ही नामंजूर किया जाता है तो स्वापक आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस संबंध में आवेदक को सूचित करेगा।"

(ii) उपनियम (1क) में,—

(क) "नियम 58 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट" शब्दों को विलोपित किया जाएगा;

(ख) ''सीमा शुल्क कलेक्टर'' शब्दों के स्थान पर "सीमा शुल्क आयुक्त'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. उक्त नियमावली के नियम 60 में,—

(i) ''अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट'' शब्दों को विलोपित किया जाएगा;

(ii) ''सीमा शुल्क कलेक्टर'' शब्दों के स्थान पर ''सीमा शुल्क आयुक्त'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. उक्त नियमावली के नियम 61 में,—

(i) "सीमा शुल्क कलेक्टर" के स्थान पर "सीमा शुल्क आयुक्त'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) "अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट" शब्दों को विलोपित किया जाएगा।

11. उक्त नियमावली के नियम 62 में, सीमा शुल्क कलेक्टर'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "सीमा शुल्क आयुक्त" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. उक्त नियमावली के नियम 64 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**64 मनःप्रभावी पदार्थों का उत्पादन**.—सिवाय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अधीन बनाए गए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1945 के नियम कहा गया है) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त उस राज्य में औषधि नियंत्रण के भार साधक किसी प्राधिकारी द्वारा, प्रदान किये गये लाइसेंस की शर्तों के अनुसार किसी भी व्यक्ति किसी भी मनःप्रभावी पदार्थ के उत्पादन नहीं करेगा।

परन्तु अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थ के उत्पादन का लाइसेंस केवल अध्याय VII क में उल्लिखित उद्देश्य के लिए जारी किया जाएगा;

परन्तु यह और कि राज्य में औषध नियंत्रण के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करने से पूर्व स्वापक आयुक्त से परामर्श करेगा।

(2) किसी राज्य में औषधि नियंत्रण का भारसाधक प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी कहा गया है) उपनियम (1) में निर्दिष्ट, प्रत्येक प्रपुंज मनःप्रभावी पदार्थ की देश में वार्षिक आवश्यकता के निर्धारण की बाबत, औषधि नियंत्रण (भारत) से परामर्श करेगा और ऐसे मनःप्रभावी पदार्थों की राज्य में आवश्यकता, राज्य से बाहर अन्य किसी विनिर्माताओं को प्रदाय के लिए अपेक्षित ऐसे पदार्थों की मात्रा और किसी विनिर्माता द्वारा उचित भंडार रखने के लिए अपेक्षित ऐसे पदार्थों की मात्रा को हिसाब में लेते हुए, आदेश द्वारा, ऐसे पदार्थों की मात्रा की वह सीमा विनिर्दिष्ट करेगा जो राज्य में विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित की जा सकेगी।

(3) उक्त मनःप्रभावी पदार्थों की मात्रा, जो एक वर्ष में एक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्मित की जा सकेगी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करते समय अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित की जाएगी।"।

13. उक्त नियमावली के नियम 65 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**65. रिटर्नों की जमा तथा पंजीकरण**.—(1) जिस व्यक्ति को एक या अधिक मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी किया गया है वह व्यक्ति जैसा भी स्वापक आयुक्त के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए उस तरीके तथा रूप में प्रत्येक पदार्थ के लिए स्वापक आयुक्त के पास पंजीकरण करेगा।

परन्तु इस उपनियम के अधीन पंजीकरण की अपेक्षा इस नियमावली के प्रभावी होने की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर अनुपालन करना होगा।

(2) उपनियम (1) के तहत पंजीकृत व्यक्ति स्वापक आयुक्त को त्रैमासिक रिटर्न इस रूप तथा तरीके से फाइल करेगा जैसा कि स्वापक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) त्रैमासिक का रिटर्न उस त्रैमासिकी के अंतिम माह की अंतिम तिथि से पहले फाइल किया जाएगा।

(4) यदि त्रैमासिक का रिटर्न, उपनियम (1) के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा नियम तिथि से पहले फाइल नहीं किया जाता है तो स्वापक आयुक्त उसके कारणों को स्पष्ट करने का नोटिस जारी कर सकता है और उसके द्वारा प्रस्तुत किये गए कारणों, यदि कोई हो तो, पर विचार करने के पश्चात पंजीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आदेश जारी कर सकता है।

(5) यदि लगातार तीन तिमाहियों तक त्रैमासिक रिटर्न नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो यह कि उपनियम (1) के अंतर्गत पंजीकरण रद्द माना जाएगा।

(6) उपनियम (4) के तहत जारी आदेश के विरुद्ध अपील सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग को या उसकी ओर से प्राधिकृत या अन्य कोई अधिकारी जो भारत सरकार के अपर सचिव से नीचे के रैंक का न हो, के समक्ष उस आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(7) अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रति भी संलग्न करनी होगी जिसके खिलाफ ऐसी अपील की जा रही है।

(8) अपीलीय प्राधिकारी, ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक हो, ऐसे आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टिकरण, उपांतरण या निषिद्धिकरण का ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे, पारित करेगा।

व्याख्या—इस नियम के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "तिमाही" का अर्थ प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर तथा अक्तूबर से दिसम्बर, समझा जाएगा।"।

14. उक्त नियमावली के नियम 65क में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा—

बशर्ते यह कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों के क्रय, विक्रय, उपभोग, या प्रयोग केवल अध्याय VII क में उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।"

15. उक्त नियमावली के नियम 66 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) 1945 नियमावली के अंतर्गत आने वाले किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी मन:प्रभावी पदार्थ को अपने पास नहीं रखेगा जब तक उसे इन नियमों के तहत उक्त उद्देश्य के लिए इस प्रकार के पदार्थ को रखने के लिए कानूनी रूप से प्राधिकृत नहीं किया जाता है :

बशर्ते यह कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थ को केवल अध्याय VII क में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही रखा जाएगा।"

16. उक्त नियमावली के नियम 67 में,—

(i) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) मनःप्रभावी पदार्थों के परेषित माल की अन्त:राज्यीय आवाजाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्रेषित माल के साथ इन नियमों से लगे फार्म 6 में और इसके साथ उपबन्धित रीति में, प्रेषित माल पत्र नही लगा है।

परन्तु अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों का परिवहन, अन्तर्राज्यिक आयात या अन्तर्राज्यिक निर्यात केवल अध्याय VII क में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।

बशर्ते यह कि, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थ का भारत से बाहर निर्यात के लिए परिवहन नियम 59 के अंतर्गत स्वापक आयुक्त द्वारा निर्यात प्राधिकार पत्र के जारी किए जाने के बाद ही किया जाएगा।

(ii) उपनियम (3) को विलोपित किया जाएगा।

17. उक्त नियमावली की अनुसूची II तथा III को विलोपित किया जाएगा।

[फा. सं. एन-11011/2/2012-एनसी-II]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

IndiaCode

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 14 नवम्बर, 1985 को सा.का.नि. सं. 837(अ), के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी तथा बाद में दिनांक 26 अक्तूबर, 1992 की अधिसूचना सं. 786(अ), 10 अगस्त, 1983 की का.आ. सं. 594(अ), 14 दिसम्बर, 1993 की सा.का.नि. सं. 748, दिनांक 24 अक्तूबर, 1994, सा.का.नि. 543, 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 82, दिनांक 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि. 556(अ), दिनांक 12 जनवरी 1996, सा.का.नि. 25(अ), दिनांक 4 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 509, दिनांक 25 जून 1997, सा.का.नि. 350(अ), दिनांक, 19 मार्च, 2002, सा.का.नि. 214(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि. 763 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 115(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 129 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 217 (अ), दिनांक फरवरी, 2004, सा.का.नि. 95(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005, सा.का.नि. 104, दिनांक 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 736 (अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2006, सा.का.नि. 639 (अ), 1 जनवरी, 2008 सा.का.नि. सं. 2(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010, का.आ. 1661(अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2011, का.आ., 739 (अ), दिनांक 21 जून, 2011, सा.का.नि. 470 (अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011, सा.का.नि. 905(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 426(अ) तथा दिनांक 5 फरवरी, 2015, सा.का.नि. 74(अ) के अंतर्गत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2015

G.S.R. 224(E).—In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76, of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely:—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 53, the following rule shall be substituted, namely:—

"**53. General prohibition.—**Import into and export out of India of the narcotic drugs and psychotropic substances is prohibited except with an import certificate or export authorization issued under the provision of this Chapter.

Provided that import into India or export out of India of the narcotic drugs and psychotropic substances specified in Schedule I of these rules shall be for the purpose mentioned in Chapter VIIA.".

3. Rule 53A of the said rules shall be omitted.

4. In rule 55 of the said rules, —

(i) in sub-rule (1), the words "specified in the Schedule of the Act" shall be omitted;

(ii) for sub-rule (3) and sub-rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(3) Every application for an import certificate shall be in such form and manner and provide such details as may be specified by the Narcotic Commissioner.

(4) A fee of rupees one thousand shall be paid to the Central Government alongwith the application under sub-rule (1) for issue of each import certificate under this rule.".

5. In rule 56 of the said rules,—

(i) sub-rule (1) shall be renumbered as sub-rule (1A) and before sub-rule (1A) so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1) The Narcotics Commissioner shall issue or deny the import certificate referred to in sub-rule (1) of rule 55 within a period of twenty one working days from the date of receipt of an application completed in all respects and in case the import certificate is not issued within the stipulated time period or denied, the Narcotics Commissioner or any other officer authorised by him in this regard shall inform the applicant the reasons thereof.";

(ii) in sub-rule (1A), —

(a) the words "referred to in sub-rule (1) of rule 55" shall be omitted;

(b) for the words "Collector of Customs", wherever they occur, the words "Commissioner of Customs" shall be substituted.

6. In rule 57 of the said rules, the words "specified in Schedule of the Act" shall be omitted.

7. In rule 58 of the said rules,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) No narcotic drug or psychotropic substance shall be exported out of India without an export authorization issued by the issuing authority in respect of the consignment, in Form No. 5 appended to these rules.";

(ii) for sub-rule (3) and sub-rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(3) Every application for an export authorization shall be in such form and manner and provide such details as may be specified by the Narcotic Commissioner.

(4) A fee of rupees one thousand shall be paid to the Central Government alongwith the application under sub-rule (1) for issue of each export authorization under this rule.".

8. In rule 59 of the said rules,—

(i) sub-rule (1) shall be renumbered as sub-rule (1A) and before sub-rule (1A) so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1) The Narcotics Commissioner shall issue or deny the export authorization referred to in sub-rule (1) of rule 58 within a period of twenty one working days from the date of receipt of an application completed in all respects and in case the export authorization is not issued within the stipulated time period or denied, the Narcotics Commissioner or any other officer authorised by him in this regard shall inform the applicant the reasons thereof.";

(ii) in sub-rule (1A),

(a) the words "referred to in sub-rule (1) of rule 58" shall be omitted;

(b) for the words "Collector of Customs", the words "Commissioner of Customs" shall be substituted.

9. In rule 60 of the said rules,—

(i) the words "specified in Schedule of the Act" shall be omitted;

(ii) for the words "Collector of Customs", the words "Commissioner of Customs" shall be substituted.

10. In rule 61 of the said rules,—

(i) for the words "Collector of Customs", the words "Commissioner of Customs" shall be substituted;

(ii) the words "specified in Schedule of the Act" shall be omitted.

11. In rule 62 of the said rules, for the words "Collector of Customs", wherever they occur, the words "Commissioner of Customs" shall be substituted.

12. For rule 64 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**64. Manufacture of psychotropic substances.—**(1) No person shall manufacture any of the psychotropic substances except in accordance with the conditions of a licence granted under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 (hereinafter referred to as the 1945 rules) framed under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), by an authority in-charge of Drugs Control in a State appointed by the State Government in this behalf:

Provided that a licence to manufacture a psychotropic substance specified in Schedule I shall be issued only for the purposes mentioned in Chapter VIIA:

Provided further that the authority in charge of the drug control in a State shall consult the Narcotics Commissioner before issuing a licence to manufacture a psychotropic substance specified in Schedule I.

(2) The authority in charge of drugs control in a State (hereinafter referred to as the Licensing Authority) shall consult the Narcotics Commissioner with regard to the assessed annual requirements of each of the psychotropic substances in bulk form referred to in sub-rule (1) in the country and taking into account the requirement of such psychotropic substances in the State, the quantity of such substance required for supply to other manufacturers outside the State and the quantity of such substance required for reasonable inventory to be held by a manufacturer, shall

specify, by order, the limit of the quantity of such substance which may be manufactured by the manufacturer in the State.

(3) The quantity of the said psychotropic substance which may be manufactured by a licensee in a year shall be intimated by the Licencing Authority to the licensee at the time of issuing the licence.".

13. For rule 65 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**65. Registration and submission of returns.—**(1) A person who has been issued licence to manufacture one or more psychotropic substances shall register with the Narcotics Commissioner for each of the substances in the form and manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

Provided that the requirement of registration under this sub-rule shall be complied within a period of one hundred and eighty days from the date of coming into force of these rules.

(2) A person who has registered with the Narcotics Commissioner under sub-rule (1) shall file quarterly return with the Narcotics Commissioner in such form and manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

(3) The return for a quarter shall be filed before the last day of the month following that quarter.

(4) If the return for a quarter is not filed before the due date by a person registered under sub-rule (1), the Narcotics Commissioner may issue notice to explain the reasons there for and after considering the reasons submitted, if any, may pass orders for revoking the registration.

(5) The registration under sub-rule (1) shall be deemed to be revoked, if the quarterly return for three successive quarters is not filed.

(6) An appeal against an order passed under sub-rule (4) may be made to the Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue or any other officer, not below the rank of Additional Secretary to the Government of India, authorized by him in this behalf, within thirty days from the date of communication of such order.

(7) Every memorandum of appeal shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

(8) The Appellate Authority shall, after making such further inquiry as may be considered necessary, pass such orders as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression "quarter" shall be January to March, April to June, July to September and October to December of every year.".

14. In rule 65A of the said rules, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that sale, purchase, consumption or use of a psychotropic substance specified in Schedule I shall be only for the purposes mentioned in Chapter VIIA.".

15. In rule 66 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) No person shall possess any psychotropic substance for any of the purposes covered under 1945 rules, unless he is lawfully authorized to possess such substance for any of the said purposes under these rules:

Provided that possession of a psychotropic substance specified in Schedule I shall be only for the purposes mentioned in Chapter VIIA.".

16. In rule 67 of the said rules, —

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) No consignment of psychotropic substance shall be transported, imported inter-State or exported inter-State unless such consignment is accompanied by a consignment note in Form 6 appended to these rules and in the manner as provided hereinafter:

Provided that a psychotropic substance specified in Schedule I shall be transported, imported inter-State or exported inter-State only for the purposes mentioned in Chapter VIIA:

Provided further that a psychotropic substance specified in Schedule I shall be transported for export out of India only after an export authorization is issued by the Narcotics Commissioner under rule 59.";

(ii) sub-rule (3) shall be omitted.

17. Schedule II and Schedule III of the said rules shall be omitted.

[F. No. N-11011/2/2012-NC-II]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended *vide* notifications numbers S.O. 786(E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599(E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748(E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556(E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25(E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509(E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350(E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214(E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763(E), dated 14th November, 2002, G.S.R. 115(E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129(E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217(E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95(E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 104(E), dated the 25th February, 2005, G.S.R. 736(E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661(E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739 (E), dated the 11th April, 2011, G.S.R. 470(E), dated 21st June, 2011, G.S.R. 905(E), dated 28th December, 2011, G.S.R. 426(E), dated 1st July, 2014, and G.S.R. 74(E), dated 5th February, 2015.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.